(58)

# नवीन स्वीकृत केन्द्रो के आरक्षण का विवरण (विकास खण्डवार)

| क्र0 सं0 | परियोजना का नाम | ग्राम सभा का नाम | केन्द्र कोड | जनसंख्या | | | वार्ड/ ग्राम की कुल आबादी | स्वीकृत पदों की संख्या | | नवीन स्वीकृत पद का आरक्षण | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | आँगनवाड़ी कार्यकत्री | | | आँगनवाड़ी सहायिका | | |
| | | | | अनु0 जाति | पिछड़ी | सामान्य | | AWW | AWH | अनु0 जाति | पिछड़ी | सामान्य | अनु0 जाति | पिछड़ी | सामान्य |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | धानापुर | मेढ़ान | 09196060826 | 677 | 2724 | 507 | 3908 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | धानापुर | बीरासराय | 09196060827 | 579 | 1745 | 448 | 2772 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | धानापुर | अहकौरा | 09196060229 | 1351 | 2823 | 836 | 5010 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | धानापुर | बभनिया | 09196060427 | 970 | 4050 | 217 | 5237 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | | योगः– | | | | | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | सदर | विशुनपुरा | 09196040529 | 680 | 2116 | 361 | 3157 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | सदर | मझवार | 09196040628 | 599 | 863 | 1466 | 2928 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | | योगः– | | | | | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | चकिया | इन्द्रिरा नगर | 09196030701 | 521 | 610 | 37 | 1168 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | चकिया | अम्बेडकर नगर अम्बेडकर नगर | 09196030702<br>09196030703 | 425 | 340 | 834 | 1599 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | चकिया | शमशेर नगर | 09196030704 | 235 | 715 | 219 | 1169 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | चकिया | कबीर नगर | 09196030705 | 295 | 653 | 105 | 1053 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | चकिया | माँ कालीनगर माँ कालीनगर | 09196030706<br>09196030707 | 45 | 1035 | 425 | 1505 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | चकिया | सिविल लाइन पूर्वी–1, सिविल लाइन पूर्वी–2 | 09196030708<br>09196030709 | 92 | 1372 | 223 | 1687 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | चकिया | सिविल लाइन पश्चिमी–1 सविल लाइन पश्चिम–2 | 09196030710<br>09196030711 | 45 | 1908 | 167 | 2120 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | चकिया | दुर्गा नगर | 09196030712 | 45 | 1110 | 172 | 1327 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | |

D.P.O.

(57)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | चकिया | विभुती नगर–1<br>विभुती नगर–2 | 09196030713<br>09196030714 | 35 | 1223 | 620 | 1878 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | चकिया | चौक | 09196030715 | 63 | 1009 | 112 | 1184 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | चकिया | शास्त्री नगर शास्त्री नगर | 09196030716<br>09196030717 | 25 | 1380 | 212 | 1617 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | चकिया | शक्तिनगर | 09196030718 | 28 | 701 | 320 | 1049 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | योगः– | | | | | | 18 | 18 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 1 | सैयदराजा | अम्बेडकर नगर | 09196010701 | 766 | 288 | 145 | 1199 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | बरहनी | अरगी पचम<br>(ग्राम पंचायत) | 09196010527 | 559 | 2938 | 1123 | 4618 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | सैयदराजा | शास्त्री नगर | 09196010702<br>09196010703 | 360 | 739 | 308 | 1407 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | सैयदराजा | हसरत मोहानी नगर | 09196010704<br>09196010705 | 219 | 917 | 225 | 1361 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | सैयदराजा | दीन दयाल नगर | 09196010706<br>09196010707 | 140 | 984 | 371 | 1495 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | सैयदराजा | लोहिया नगर | 09196010708<br>09196010709 | 0 | 994 | 559 | 1553 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | सैयदराजा | अब्दुल कलाम नगर<br>अब्दुल कलाम नगर | 09196010710<br>09196010711 | 27 | 1374 | 312 | 1713 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | सैयदराजा | गाँधी नगर | 09196010712 | 71 | 1149 | 31 | 1251 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | सैयदराजा | सैयद नगर<br>सैयद नगर | 09196010713<br>09196010714 | 87 | 773 | 743 | 1603 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | सैयदराजा | आजाद नगर आजाद नगर | 09196010715<br>09196010716 | 51 | 614 | 856 | 1521 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | सैयदराजा | नेहरू नगर | 09196010717 | 64 | 980 | 158 | 1202 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | सैयदराजा | सुभाष नगर | 09196010718 | 54 | 807 | 329 | 1190 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | सैयदराजा | किदवई नगर किदवई नगर | 091960107219<br>091960107220 | 0 | 904 | 726 | 1630 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | सैयदराजा | इंदिरा नगर | 091960107221 | 0 | 953 | 237 | 1190 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | योगः– | | | | | | 22 | 22 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 11 |

D.P.O.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नियामताबाद | कठौरी | 09196080532 | 998 | 4709 | 5580 | 11287 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | नियामताबाद | पचोखर | 09196080234 | 382 | 3519 | 3950 | 7851 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | नियामताबाद | कटेसर | 09196080732 | 1296 | 3863 | 1953 | 7114 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | | योग:- | | | | | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | सकलडीहा | डीघवट | 09196100729 | 541 | 5224 | 394 | 6159 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | | योग:- | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

जिला कार्यक्रम अधिकारी
बाल विकास चन्दौली।
9.6.21
(अरविन्द कुमार)

जिलाधिकारी
चन्दौली।

प्रेषक,

**निदेशक,**
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उ0प्र0,लखनऊ।

सेवा में,

**समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: सी-1300 / बा0वि0परि0 / आ0बा0स्था0-4 / आ0बा0चयन / 2020-21, **दिनांक: 23 मार्च, 2021**

**विषय :-** **<u>आंगनवाड़ी कार्यकत्री / मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं के चयन हेतु विभागीय वेबसाइट पर आंगनवाड़ी केन्द्रों पर रिक्त पदों का विवरण ऑनलाईन फीड कराने के संबंध में।</u>**

**महोदय,**

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-11 / 2021 / 388 / 58-1-2020-2 / 1(22)10 टी.सी. दिनांक 29 जनवरी, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके कम में आंगनवाडी कार्यकत्री / मिनी आंगनवाडी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं के चयन की कार्यवाही हेतु ऑनलाईन आवेदन फार्म विभागीय वेबसाइट पर फीड कराने हेतु साफ्टवेयर को एन.आई.सी. द्वारा विकसित किया गया है, जो विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।

जनपद के रिक्त आंगनवाडी केन्द्रों का आरक्षणवार विवरण (केन्द्र का नाम, केन्द्र का कोड (11 डिजिट), ग्राम पंचायत / वार्ड का नाम आरक्षण श्रेणी) विभागीय वेबसाइट http://balvikasup.gov.in पर जनपद स्तर से फीड किया जाना है, जिस हेतु एन.आई.सी. द्वारा जनपद स्तर पर लॉगिन आई.डी एवं पासवर्ड जिला कार्यकम अधिकारी को उनके विभागीय ई-मेल पर उपलब्ध कराया जा चुका है।

इस कार्यालय के पत्र संख्या सी-1280 / बा0वि0परि0 / आ0बा0स्था0-4 / 2020-21 दिनांक 21 मार्च, 2021 द्वारा आपके जनपद में ऑगनबाडी, कार्यकत्री, मिनी ऑगनबाडी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों का विवरण केन्द्रवार व आरक्षणवार आपसे अनुमोदन के पश्चात उपरोक्त वेबसाइट पर भरे जाने की अपेक्षा की गयी है। उपरोक्त चयन की कार्यवाही हेतु शासनादेश दिनांक 29 जनवरी, 2021 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं। अनुरोध है कि उपरोक्त शासनादेश के कम में एनआईसी द्वारा विकसित विभागीय वेबसाइट पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण कर अधिकतम 03 दिन में जनपदीय विज्ञापन जारी करते हुये रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जाये।

**जनपद के आंगनवाड़ी केन्द्रों पर रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही पूर्ण करने की निर्धारित समयावधि निम्नवत् है:-**

| क्र. सं. | विवरण | निर्धारित समयावधि |
|---|---|---|
| 1 | जनपद के आंगनवाडी केन्द्रों के रिक्त पदों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाईन फीड करने हेतु निर्धारित अवधि एवं जनपद के आंगनवाडी केन्द्रों के रिक्त पदों का विज्ञापन जारी करने की तिथि। | 03 दिन |

Scanned by TapScanner

| | | |
|---|---|---|
| 2 | ऑनलाईन आवेदन फार्म प्राप्त करने की अन्तिम तिथि। | विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 21 दिन |
| 3 | चयन प्रकिया पूर्ण करने की अवधि। | विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर |

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित समयावधि में आंगनवाडी कार्यकत्री/मिनी आंगनवाडी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही पूर्ण करवाने का कष्ट करें साथ ही उपरोक्त कार्यवाही में पूर्णतः पारदर्शिता अवश्य बरती जायें।

(डा० सारिका मोहन)
निदेशक।

पृष्ठांकन -1300 /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. अपर मुख्य सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 शासन।
3. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि जिलाधिकारी कार्यालय से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर आंगनवाड़ी केन्द्रों के रिक्त पदों की सूचना (आरक्षणवार) फीड कराते हुए प्रतिदिन की अद्यतन स्थिति से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(डा० सारिका मोहन)
निदेशक।

Scanned by TapScanner

# नियम शर्ते एवं अर्हताएँ

| | | |
|---|---|---|
| 1 | शैक्षिक योग्यता | ऑगनवाड़ी कार्यकत्रियों व मिनी केन्द्र की कार्यकत्रियों हेतु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम हाईस्कूल उत्तीर्णतथा सहायिकाओं हेतु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा पांच उत्तीर्ण होंगी। |
| 2 | आयु सीमा | (1) ऑगनवाड़ी कार्यकत्रियों, मिनी ऑगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। ऑगनवाड़ी सहायिका से ऑगनवाड़ी कार्यकत्री के पद पर चयन हेतु अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।<br>(II) आयु के सम्बन्ध में ऑगनवाड़ी कार्यकत्रियों, मिनी ऑगनवाड़ी केन्द्र की कार्यकत्रियों के लिए हाईस्कूल प्रमाण– पत्र एवं सहायिकाओं के लिए कक्षा–5, जैसी भी स्थिति हो, का स्कूल से जारी प्रमाण–पत्र मान्य होगा। |
| 3 | चयन हेतु पात्रता/ अर्हता | क–(1)सर्वप्रथम अपेक्षित अर्हता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्रो में उसी ग्राम तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित केन्द्र की सहायिका, जिसकी न्यूनतम अर्हकारी सेवा 05 वर्ष की पूरी हो चुकी हो तथा हाईस्कूल उत्तीर्ण हो एवं उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक न हो।<br>सहायिका से कार्यकत्री के पद पर चयन मे यह ध्यान रखा जांय कि किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित न हो अथवा प्रचलित/विद्यमान आरक्षण प्रक्रिया का उल्लंघन किसी भी दशा में न किया जाय।<br>(II) ऑगनवाड़ी कार्यकत्री, मिनी ऑगनवाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं की नियुक्ति/चयन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्यों को प्रथम वरीयता देते हुए किया जायेगा। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। गरीबी रेखा हेतु आय का निर्धारण समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या–22/2015/2123/ 26–2–2015, दिनांक 14.09.2015 के अनुसार होगा। समाज कल्याण विभाग के शासनादेश दिनांक 14. 09.2015 में आय सीमा हेतु कट ऑफ निर्धारित करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46,080/–तथा शहरी क्षेत्र में रू0 56,460/–प्रति परिवार वार्षिक आय निर्धारित किया गया है।<br>(III) सहायिका के उपलब्ध न होने की दशा में उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिला।<br>(IV) विधवा महिला उपलब्ध न होने की दशा में उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला।<br>ख–(1) ऑगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं वा मिनी ऑगनवाड़ी कार्यकत्रियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वह उसी ग्राम सभा एवं शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड की निवासी हों।<br>(II) निवास एवं आय के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी/तहसीलदार के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।<br>(III) विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के सम्बन्ध में नियमानुसार सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।<br>(IV) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिला के उपलब्ध न होने की दशा मे गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाली महिलाओं के चयन |

| | | |
|---|---|---|
| | | किये जाने पर विचार किया जायेगा।<br>(V) यदि ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नही होता है तो सम्बन्धित न्याय पंचायत में से उपरोक्तुनसार श्रेणीवार चयन किया जा सकता है। |
| 4 | मेरिट सूची तैयार किये जाने की प्रक्रिया | एक ही श्रेणी मे एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा मे सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी। इसमें हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक के अंकों पर विचार किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा, वही उसका अंक माना जायेगा अर्थात यदि किसी अभ्यर्थी को हाईस्कूल परीक्षा मे 45 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए है तो उसे 45÷10=4.5 अंक प्राप्त होंगे, इसी प्रकारी यदि किसी अभ्यर्थी को 59 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए है तो उसे 59÷10=5.9 अंक प्राप्त होंगें। इसी प्रकार ग्रेडिंग एवं सीजीपीए पद्वति में प्राप्त अंक भी आंगणित किये जायेंगे। इण्टरमीडिएट एवं स्नातक के प्राप्त अंक प्रतिशत के आधार पर भी इसी प्रकार अंक प्रदान किये जायेगें। इससे अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को कोई अतिरिक्त अंक नही दिये जायेंगे। समस्त परीक्षाओं के अंक जोड़ने के पश्चात् मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी।<br>यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते है, तो वरीयता अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को दी जायेगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी के अंक व आयु भी समान हो तो अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। |
| 5 | आरक्षण | (1) ऑगनवाड़ी कार्यकत्रियों व मिनी ऑगनवाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, विकलांग एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो हेतु समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण से सम्बन्धित शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। |